रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

SECRETARIAT LIBRARY
Date
GOVT. OF INDIA

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 1996/आश्विन 1, 1918
No. 528] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 1996/ASVINA 1, 1918

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1996

का. आ. 646 (अ).—केन्द्र सरकार स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 5 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री विजय सिंह को श्रीमती ए. पी. अहलूवालिया के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्य के रूप में नामित करती है और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 30 दिसम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या का. आ. 935 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, यथा :—

1. श्री विजय सिंह,
संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

[फा. सं. वी. 17013/2/92-एम.ई. (पी.जी.)(i)]

सुनीला बसन्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 1996

S.O. 646 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 5, read with sub-section (4) of section 6, of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government

hereby nominates Shri Vijay Singh to be a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, in place of Smt. A. P. Ahluwalia, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 935 (E), dated 30th December, 1992, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1. Shri Vijay Singh,
Joint Secretary and Financial Adviser,
Ministry of Health & Family Welfare,
New Delhi.

[F. No. V. 17013/2/92-M.E.(P.G.) (i)]
SUNILA BASANT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996